


5x

न्यायालय औ मान् स्क स्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल रवालियर
सर्किट कोटी रीवा म०प्र०

निगरानो प्रकरण क्रमांक 2012

194
6/12/12

R-149-5113



C.F. Rs 15/-

राजेन्द्र प्रसाद दुवे तनय गोविन्द प्रसाद दुवेउमो & 38 वर्ष, पेशा

धन्देलक्ष्मी साहेब भट्टा
गारुड़भाला "दामासुचुनी" लेतो निवासोग्राम हटवा सुरेहान पौ० ढनगर तह० मुरागंज, जिला
रीवा दि० 4-12-12

रीवा म०प्र०

आवेदक

वनाम

- 1- हेत राम दुवे तनयरामटहल
- 2- विजयकुमार तनय जानकोराम दुवे
- 3- राजमान दुवे तनय जानकोराम दुवे
- 4- इन्द्रजौत दुवे तनय जानकोराम दुवे
- 5- रामनिश्चय दुवे तनय जानकोराम दुवे,

सांगे निवासीगण ग्राम हटवा सुरेहान, तहसील मुरागंज, जिला रीवा म०प्र०

----- अनावेदकगण

निगरानी विराद्ध आदेश ओमान् अनुविमाणीय

अधिकारी मुरागंज दिनांक 16-10-12 कावत

प्रकरण क्र० 19 अ० 27/2010-11

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता

सं 1959दृ०

संदोमे मे तथ्य

ग्राम हटवा सुरेहान तहसील मुरागंज जिला रीवा
स्थित मूमिया जरिये मुल्लो वटवारा नामांकन 5-08-1955 प्राप्त हक व

रा/ठाकुर कुमार कुमार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 149—दो / 2013 निगरानी

जिला – रीवा

रथान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	<p>उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया।</p> <p>2/ यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मउगंज जिला रीवा के प्रकरण नंबर 19 अ—27/10—11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16—10—12 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके ब्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 16 पर आदेश दिनांक 22—2—2007 से नायव तहसीलदार ब्दारा प्रमाणित किये गये नामान्तरण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा किया गया है।</p> <p>3/ अनावेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 16—10—12 के बाद पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का आदेश दिनांक 11—2—2013 से अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके कारण यह निगरानी व्यर्थ है। प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर विचारोपरांत पाया गया कि जब अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण नंबर 19 अ—27/10—11 अपील में पारित आदेश दिनांक 11—2—13 से अपील प्रकरण का निवटारा अंतिम रूप से कर दिया है, दुखी पक्षकार सक्षम न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश को चुनौती दे सकते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में गुणदोष पर विचार का औचित्य न रहने से इसी—स्तर पर निरस्त की जाती है।</p> 	